HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No.2512/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3218/2025

Zahir S/o Umar Mohmmad @ Mohmmad, Resident Of Phulabass Police Station Tijara District Alwar At Present District Khairthal-Tijara (Rajasthna) (Accused Appellant Is In Custody At District Jail Alwar)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

Connected With
S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No.2411/2025

in

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3118/2025

Ikbal Son Of Umar Mohammad Alias Mohammad, Aged About 60 Years, Resident Of Village Phulabas Police Station Tijara District Alwar Presently Khairthal Tijara, Rajasthan (At Present Accused Is Confined In District Jail Alwar)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Prakash Thakuriya Mr. Arafat Hussain
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27/02/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **जहीर एवं इकबाल** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या–1, तिजारा, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**34/06/2022, राजस्थान राज्य** बनाम **लतीफ एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **11.11.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही आक्षेपित निर्णय से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया रहा हैं।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दौराने विचारण दिनांक 08.10.2012 से 22.01.2013 तक अभिरक्षा में रहे हैं, तत्पश्चात् जमानत पर आजाद रहे हैं तथा वर्तमान में भी वे न्यायिक अभिरक्षा में हैं, उनकी अभिरक्षा अवधि लगभग छह माह हो चुकी है। उनका यह भी निवेदन है कि विचारण न्यायालय द्वारा कुल 12 अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण किया गया है, जिनमें से अपीलार्थी/अभियुक्तगण जहीर एवं इकबाल के अलावा शेष अभियुक्तगण के साथ परिवादी पक्ष के द्वारा राजीनामा किये जाने पर शेष अभियुक्तगण को बरूवे राजीनामा दोषमुक्त किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि इस घटना में मजरूबान फखरूद्दीन एवं लियाकत को चोटें आना बताया है, जिनमें से गवाह लियाकत विचारण न्यायालय के समक्ष पी0डब्ल्यू–12 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और वह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उनका यह भी तर्क है

कि मजरूब/गवाह लियाकत के अलावा अन्य गवाहान पी0डब्ल्यू–13, 14, 15 एवं 09 पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्य एवं तथ्यों का समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने बाबत् सुदृढ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, प्रस्तुत अपीलों के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जावें।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, संपूर्ण पत्रावली एवं विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी पक्ष द्वारा कुछ अभियुक्तगण के साथ राजीनामा प्रस्तुत होने एवं उनके दोषमुक्त होने बाबत् तथ्यों का अवलोकन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **27.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. जहीर पुत्र श्री उमर मोहम्मद उर्फ मोहम्मद एवं 2. इकबाल पुत्र पुत्र श्री उमर मोहम्मद उर्फ मोहम्मद** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /24-25